

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :72/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा प्लॉट नं. ई-2, भूतल, के. जे. सिटी टॉवर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल माहेश्वरी (ऋणी)
 - (अ) ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर ।
 - (ब) मैसर्स सालासर ट्रेडर्स, मुहाना पावर हाऊस के सामने, मुहाना रोड, सांगानेर, जयपुर ।
- (2) श्रीमती मोनिका माहेश्वरी पत्नी श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी (गारन्टर)
ए-165, सहयोग अपार्टमेन्ट, टावर-1, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर (राज.)-302023

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 24.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.10.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कृष्ण स्वरूप माहेश्वरी के स्वामित्व की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजायर वीएक्सआई, रजि. नं. आरजे 14-क्यूसी-7540 को बन्धक कर रु. 5.50 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने 'The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त वाहन व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


3. प्राथी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मतीभाति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी बैंक ने अप्राथीगणों को 5,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राथीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राथी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मधु ब्याज कुल 3,71,948/-रूपये जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 04.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी बैंक के पक्ष में अप्राथी श्री कृष्ण स्वरूप माहेश्वरी के स्वागित्व की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डीजायर चीएक्सआई, रजि. नं. आरजे 14-क्यूसी-7540 का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जारिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्राथीगण के कब्जे में हो तो प्राथी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


24/8/2020
(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

